# न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 94/2022

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. राजूराम चौधरी पुत्र सुखदेवराम चौधरी जाति जाट निवासी आगोलाई जिला जोधपुर। | | 1 मदनलाल पुत्र रामचन्द जाति सोनी निवासी ढाणी बाजार तहसील बाडमेर 2 हिन्दूसिंह पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत निवासी लक्ष्मी नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 3 तहसीलदार बाडमेर। |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 RTA Act.**

उपस्थिति :– 1. श्री कुमार कौशल, वकील वादी पक्ष।

2. श्री देवीलाल कुमावत, वकील प्रतिवादी पक्ष।

## निर्णय

दिनांक 06/01/23

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 94/2022 अनवान राजूराम चौधरी बनाम मदनलाल वगैराह में दिनांक 01.11.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बाडमेर को वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक राजस्व/पीडी/2022/2973 दिनांक 20.12.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया।

अतः तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मध्य मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3865/1173 रकबा 0.2428 हैक्टयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की भूमि का विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता हैः–

| क्र. सं. | नाम खातेदारान | खसरा संख्या | रकबा (हैक्टयर में) | किस्म | बरंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजूराम चौधरी पुत्र सुखदेवराम जाति जाट निवासी आगोलाई जिला जोधपुर | 3865/1173 | 0.0354 | बा.दो. | आसमानी |
| 2 | मदनलाल पुत्र रामचन्द जाति सोनी निवासी ढाणी बाजार तहसील बाडमेर | 3865/1173 | 0.1722 | बा.दो. | हरा |
| 3 | हिन्दूसिंह पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत निवासी लक्ष्मी नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर | 3865/1173 | 0.0352 | बा.दो. | लाल |

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर लगान का निर्धारण करावे तथा नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिकरी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 06/01/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

E:\JITENDRA RAMAWAT\53 RTA\order 53.docx